**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा जिला राजसमंद**

पीठासीन अधिकारी :— श्रीमती बिन्दू बाला राजावत आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या. 06/2025

किस्म :— प्रार्थना—पत्र

दायर दिनांक : 01.01.2025 निर्णय दिनांक : 30.10.2025

**—:अनवान:—**

1. मंगलसिंह पुत्र अर्जुनसिंह राजपुत निवासी मेहन्दुरिया तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

— प्रार्थी

**बनाम**

1. बंशीलाल पिता दुर्गा बंजारा आयु बालिग
2. मांगीलाल पिता दुर्गा बंजारा
3. डालचन्द पिता आसु जाति कुम्हार
4. धनराज पिता आसु जाति कुम्हार
5. रोशनलाल पिता आसु जाति कुम्हार
6. दुर्गा पिता नाथु बंजारा
7. पप्पुलाल पिता नाथु जाति बंजारा
8. फुली पत्नि नाथु जाति बंजारा
9. लालु पिता भग्गा जाति बंजारा
10. शंकर पिता नाथु जाति बंजारा

सभी निवासीयान बंजारों का खेड़ा मेहन्दुरिया तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद

11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय, रेलमगरा

..........विपक्षीगण

वास्ते,

तहसीलदार रेलमगरा

जो कि मुल ही हुक्मनामा आपके पास भेजकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी के खातेदारी की आराजी संख्या 177 रकबा 1.1979है भूमि ग्राम मेहन्दुरिया पटवार हल्का मेहन्दुरिया तहसील रेलमगरा आप मौके पर जाकर उभयापक्षकारन की उपस्थिति में यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो एवं मौके पर निर्माण नहीं हो तो राजस्व रेकार्ड खाता एवं नक्शा ट्रेस अनुसार विधिवत रूप से नपती कर पत्थरगढ़ी के वक्त किसी के कब्जे में दखल नहीं करते हुये किसी प्रकार का कब्जा सूपुर्द नहीं किया जावें । फिस पत्थरगढ़ी 1500/— रूपये अक्षरे. एक हजार रूपये प्रार्थी से वसुल कर राज कोष मे जमा करावें। बाद तामिल हुक्मनामा फसल कटाई के पश्चात् पत्थरगढ़ी पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करें।

यह हुक्मनामा आज दिनांक 30.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।

(बिन्दू बाला राजावत RAS)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा
राजसमंद

विशेष अभियान
लोक
अदालत